न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 20/2024

जसराम पुत्र रामला गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुगोलाव हाल गेटोलाव तहसील लवाण जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश व निर्णय दिनांक 15.10.2024 उनवानी सरकार बनाम 2024 उनवानी सरकार बनाम जसराम प्रकरण संख्या 11/2024 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा

उपस्थित : 1. श्री हेमराज गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 17.01.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 15.10.2024 को ग्राम दौसा तहसील दौसा के खसरा नंबर 2628, 2629 रकबा 0.02है. पर पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का की इस बिनाय रिपोर्ट पेश करने पर कि खसरा नंबर 2628, 2629 गै0मु0पाल एवं रास्ता की भूमि तन मौजा दौसा गेटोलाव के रकबा 1–1 एयर भाग पर अतिचार कर दो दुकान एवं डेयरी जिसमें चाय की थडी चलाकर नया अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट स्वयं व जरिये अभिभाषक उपस्थित होने पर भी बेजा आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में बताकर वेगपूर्ण विधि विरूद्ध आज्ञा दिनांक 15.10.2024 को फरमा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्याय नियम प्रकिया की गरज से होने के कारण खारिज योग्य है। परिवादी सिंचाई विभाग द्वारा तारीख दिनांक 12.01.2024 को तहसीलदार दौसा को एक परिवाद इस आशय का दिया की भूमि खसरा नंबर 2628 तन मौजा दौसा का किस्म गै0मु0पाल खातेदार सिंचाई विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि के अगले छोर पर अपीलांट द्वारा दो पक्की दुकानात बना ली है जिस पर चाय की थडी रखकर अवैध कब्जा कर लिया है, उक्त अतिक्रमण को हटवाया जावे। इस पर तहसीलदार दौसा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर भूमि खसरा नंबर 2628 रकबा 3.52है. गै0मु0पाल पर रकबा 0.001है. पर एवं खसरा नंबर 2629 रकबा 0.01है. पर नया अतिक्रमण कर दो दुकान एवं डेयरी जिस पर चाय की थडी चल रही है, पर जयराम पुत्र रामला गुर्जर द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर लिया है के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट सरासर गलत [illegible] है। अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 2628 व 26298 के एक इंच भाग [illegible] नहीं किया है बल्कि खसरा नंबर 2651 के खातेदार मोहनलाल पुत्र मांगीलाल [illegible] 31.3.2005 को 1 [illegible] भूमि को बिल एवज 20000/–रू0 में क्रय कर आज से लगभग 19–20 वर्ष पूर्व [illegible]न कराकर पुख्ता दुकान व कमरे का निर्माण किया गया है जो तहसील व सिंचाई विभाग की भूमि नहीं है बल्कि खातेदार की ही भूमि है। इस संबंध में अपीलांट को बिना कोई सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

दिये ही व बिना साक्ष्य लिये बिना व पटवारी हल्का के बयान लिये बिना अपीलांट की बिना कोई सुनवाई किये व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। भूमि खसरा नंबर 2628, 2629 की भूमि मानते हुए गलत निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के सामान्य सिद्धान्त के विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अधिवक्ता नियुक्त कर उनका वकालतनामा भी पेया कर दिया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के अधिवक्ता को भी नहीं सुना और न ही उनको पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया गया तथा मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ तहसीलदार ने पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ महसीलदार दौसा दिनांक 15.10.2024 निरस्त फरमया जावें एवं पत्रावली तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिकार्ड फरमाई जावे कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर बाद जांच अपील करा पुनः न्यायोचित निर्णय फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय सिवायक चक किस्म गै0मु0पाल भूमि खसरा नंबर 2628 रकबा 0.01है. व खसरा नंबर 2629 किस्म गै0मु0रास्ता भूमि रकबा 0.01है. कुल किता 2 रकबा 0.02है. भूमि पर दो दुकान एवं डेयरी जिसमें चाय की थडी चल रही है, अतिक्रमण किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0पाल भूमि खसरा नंबर 2628 रकबा 0.01है. व खसरा नंबर 2629 किस्म गै0मु0रास्ता भूमि रकबा 0.01है. कुल किता 2 रकबा 0.02है. भूमि पर दो दुकान एवं डेयरी बनाकर अतिचार किया है। रिपोर्ट की कैफियत में उक्त अतिक्रमण नया होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 15.10.2024 द्वारा बेदखली, व आरोपित शास्ति के दंड से दंडित किया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त निर्माण राजकीय [illegible] नंबर 2628 व 2629 पर न होकर खसरा नंबर 2651 पर है। साथ ही तहसीलदार [illegible] अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया दिया जा[illegible] किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2024 9 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested